

INVALIDITY BENEFIT SCHEME

DETAILS OF THE 'INVALIDITY BENEFIT SCHEME' FOR THE INDIAN SEAFARER WHO BECOME PERMANENTLY UNFIT FOR SEAFARING PROFESSION DURING OFF ARTICLE PERIOD.

1. Pursuant to the objects of the Seafarers' Welfare Fund Society (herein after referred to as the Society) as defined in Article 3(XV) of the Memorandum of Association of the Society, the **Indian** seafarer, as being eligible in terms of provisions of rule 3 herein below, may be granted the financial assistance under the 'Invalidity Benefit Scheme', on becoming permanently unfit for seafaring profession under the circumstances and to the extent detailed herein below.

2. Such financial assistance to for the Indian seafarer, on becoming permanently unfit for seafaring profession shall be paid, at the absolute discretion of the society and such financial assistance, may be dispensed with and / or curtailed /enhanced, suspended or completely withdrawn at any time without any prior notice. The availability of such **financial assistance under the** 'Invalidity Benefit Scheme' to the eligible **Indian** seafarer, during off article period does not in any manner confer or create any prescriptive right whatsoever and shall not be called in question.

3. Eligibility.

The scheme, is applicable to the **Indian** seafarers, **holding CDC book**, and who are **last** recruited / engaged, by Indian ship-owners or through registered RPS, for either Indian or foreign flag vessels, before occurrence of an injury, due to which he/she became permanently unfit for seafaring profession.

The **financial assistance under the** 'Invalidity Benefit Scheme' shall be granted to the **Indian** seafarer, who has become permanently unfit, for the seafaring profession, due to loss of limbs by any an accidental injury that occurred on or after 21.08.2014, during off article period of 12 months (amended to 24 month w.e.f. 31/05/2022) & **(amended to 36 month w.e.f. 27/01/2026)**, from the date of sign off from the last vessel/ship, as recruited/engaged above.

4. Quantum.

The quantum of financial assistance under this scheme shall be ₹.1,00,000/- (₹One lakh only) to the eligible **Indian** seafarer. **(Refer Note given below.)**

5. The Society may approach the Indian ship-owners /registered RPS, company concerned and obtain such particulars as may be necessary for the purpose of payment of financial assistance envisaged under this scheme.

6. To receive the benefit under this scheme only such applications will be entertained **which** are submitted to Seafarers' Welfare Fund Society within a period of **two** years upto 30/05/2022 and for accidental injury which occurred on or after 31/05/2022 the time limit has been increased to three years from the date of certificate issued by the DGS approved medical practitioner.

7. Application for financial assistance under this scheme is to be made in the prescribed form, along with the certificate issued by the DGS approved Medical Practitioner certifying the **Indian** seafarer 'Permanently Unfit' for the seafaring profession due to injury, ***copy of discharge card/certificate and medical report card issued by the hospital (where the said Indian seafarer was admitted for the treatment)*** and original CDC Book.

8. Notwithstanding anything contained herein above in all doubtful/disputed and/or exceptional cases, the Committee of Management ***of the SWF Society*** may examine and decide, on case to case basis, and its decision shall be final.

Note 1: The amount of financial assistance has been enhanced to Rs. 200000/- (Rupees Two lacs only) w.e.f. 16/03/2016 for the seafarer, where the injury to the seafarer has occurred on or after 16.03.2016, within off article period of 12 months from the date of sign off from the last vessel/ship.

Note 2: The amount of financial assistance has been enhanced to Rs. 6,00,000/- (Rupees Six lacs only) w.e.f. 29/04/2024 for the seafarer, where the injury to the seafarer has occurred on or after 29/04/2024, within off article period of 24 months from the date of sign off from the last vessel/ship. **(amended to 36 months w.e.f. 27/01/2026)**

.....

SEAFARERS' WELFARE FUND SOCIETY.

(Autonomous Body of Ministry of Ports, Shipping and Waterways Government of India)
NAU BHAVAN, GROUND FLOOR, R.KAMANI MARG, BALLARD ESTATE, MUMBAI-400 001

Mobile No. 8097552900 / 8097553700

Email-swfs.dgs@govcontractor.nic.in / swfs.srassit-dgs@govcontractor.nic.in

APPLICATION FORM FOR FINANCIAL ASSISTANCE UNDER 'INVALIDITY BENEFIT SCHEME'.

(Please refer notes given below before submitting this application form.)

Seafarer's name in Full (As per CDC Book)	Mr./Mrs./Ms.
CDC Book Number	
Indian shipowners Co. name OR Recruitment & Placement Service (RPS) provider Name & Regn. No	
The name and date of the vessel last sign-off	
Correspondence address	
Telephone No. (with STD Code) / Mobile No.	Tel. No. _____ Mobile No. _____

I, the undersigned, have become **PERMANENTLY UNFIT**, for seafaring profession due to an accidental injury which took place on _____.

I now request you to grant me, financial assistance under the 'Invalidity Benefit Scheme', as per SWF Society's rules as applicable for the scheme. I am submitting herewith following documents, to receive the claim under the scheme. I give below my Bank account details. **(Bank details are mandatory, without which the application will not be processed.)**

Sr. No.	Document
1	Copy of self-attested latest Indian CDC Book of the Indian seafarer showing last sign-off vessel name and date.
2	Copy of certificate issued by the DGS approved Medical Practitioner certifying the Indian seafarer "Permanently Unfit" for the seafaring profession due to loss of limbs.
3	Attested copy of discharge card/certificate and medical report card issued by the hospital (where the Indian seafarer was admitted for the treatment.)

Details of the bank, where the financial assistance amount to be credited (mandatory)

Name of the bank	Branch name	Branch address	S.B. A/c no.	Branch IFSC code

(Note: Please attach a legible copy of the Front page of Bank Pass Book of SB Account showing applicant's name, duly attested by the Branch Manager of the Bank.)

I declare that I am claiming this financial assistance on the strength of the documents submitted as above, and at later date if it is proved that I am not Permanently Unfit for seafaring profession or my claim was found fraudulent, I undertake to refund the financial assistance in full to the SWF Society and also authorize the SWF Society to recover the same from me from my any source of Income.

Place: _____
(Applicant's Signature/ Thumb Impression)

Date: _____

Name of Applicant: _____

Note 1: This scheme is applicable only for Indian seafarers, holding CDC book and effective from 21.08.2014 & hence date of injury should be on or after 21.08.2014.

Note 2: The date of injury of seafarer should be within 12 months period from the date of sign-off from the last vessel as recorded in the Indian CDC Book. **(amended to 36 months w.e.f. 27/01/2026)**

Note 3: The application for financial assistance should receive by the Society within three years period from the date of certificate issued by the DGS approved medical practitioner.

FOR S.W.F.S. OFFICE USE ONLY

Application No. _____

Documents attached verified & the applicant found eligible/not eligible under Invalidity benefit scheme for financial assistance of ₹. _____. (₹. _____ only)

Checked by D.A. Verified by (A.A.O.) Recommended by (CAAO) Approved by MT/MS

अक्षमता लाभ योजना

भारतीय नाविक के लिए 'अक्षमता लाभ योजना' का विवरण जो आर्टिकल अवधि के दौरान स्थायी रूप से नाविक के लिए अक्षम हो गया।

1. सोसाइटी के एसोसिएशन के ज्ञापन के अनुच्छेद 3(XV) में परिभाषित सोसाइटी के नाविक कल्याण निधि सोसाइटी (जिसे इसके बाद सोसाइटी के रूप में संदर्भित किया गया है) के उद्देश्यों के अनुसार, भारतीय नाविक, जैसा कि यहां नीचे दिए गए नियम 3 के प्रावधानों के संदर्भ में योग्य है, 'अक्षमता लाभ योजना' के अंतर्गत, परिस्थितियों के तहत और नीचे दिए गए विस्तार से नाविक के लिए स्थायी रूप से अक्षम होने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

2. भारतीय नाविक को ऐसी वित्तीय सहायता, स्थायी रूप से नाविक के लिए अक्षम होने पर, सोसाइटी के पूर्ण विवेक पर भुगतान किया जाएगा और ऐसी वित्तीय सहायता, किसी भी पूर्व सूचना के बिना किसी भी समय समाप्त और/या कम/बढ़ाई जा सकती है, निलंबित या पूरी तरह से वापस ली जा सकती है। ऑफ आर्टिकल अवधि के दौरान पात्र भारतीय नाविक को 'अक्षमता लाभ योजना' के तहत इस तरह की वित्तीय सहायता की उपलब्धता किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का निर्देशात्मक अधिकार प्रदान नहीं करती है और इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

3. पात्रता।

यह योजना भारतीय नाविकों पर लागू होती है, जिनके पास सीडीसीडीसी बुक है, और जो भारतीय या विदेशी ध्वज वाले जहाजों के लिए भारतीय पोत मालिकों द्वारा या पंजीकृत आरपीएस के माध्यम से अंतिम भर्ती/नियुक्त किए गए हैं, जो किसी चोट के होने से पहले, जिसके कारण वह/वह स्थायी रूप से समुद्र यात्रा के पेशे के लिए अक्षम हो गया/हो गई।

वित्तीय सहायता 'अक्षमता लाभ योजना' के तहत भारतीय नाविक को दी जाएगी, जो स्थायी रूप से अपात्र हो गया है, नाविक के लिए, किसी भी आकस्मिक चोट के कारण जो 21.08.2014 को या उसके बाद हुई है, 12 महीने की ऑफ आर्टिकल अवधि (29/04/2024 से 24 महीने तक संशोधित) और (27/01/2026 से 36 महीने तक संशोधित) के दौरान, अंतिम पोत/जलयान से साइन ऑफ की तारीख से, जैसा कि भर्ती/नियोजित किया गया है।

4. राशी

इस योजना के तहत वित्तीय सहायता की राशि ₹. 1,00,000/(केवल एक लाख रुपये) पात्र भारतीय नाविक को दी जाएगी। (नीचे दिए गए टिप्पणी देखें)

5. सोसाइटी भारतीय पोत-मालिकों/पंजीकृत आरपीएस, संबंधित कंपनी से संपर्क कर सकती है और इस योजना के तहत परिकल्पित वित्तीय सहायता के भुगतान के उद्देश्य से आवश्यक विवरण प्राप्त कर सकती है।

6. इस इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो नाविक कल्याण निधि सोसाइटी को 30/05/2022 तक दो वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत किए गए हों और 31/05/2022 को या उसके बाद हुई दुर्घटना में चोट के लिए समय सीमा नौमनि द्वारा अनुमोदित चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र की तिथि से तीन वर्ष तक बढ़ा दी गई है।

7. इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में, नौमनि द्वारा अनुमोदित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ किया जाना है जो चोट के कारण भारतीय नाविक को **नाविक** के लिए 'स्थायी रूप से अक्षम' प्रमाणित करता है, डिस्चार्ज कार्ड/प्रमाण पत्र की प्रति और अस्पताल द्वारा जारी डिस्चार्ज कार्ड/प्रमाण पत्र और मूल सीडीसी बुक।

8. उपर्युक्त किसी भी बात के बावजूद सभी संदिग्ध/विवादित और/या असाधारण मामलों में, एसडब्ल्यूएफ सोसायटी की प्रबंधन समिति मामले के आधार पर जांच और निर्णय ले सकती है, और उसका निर्णय अंतिम होगा।

टिप्पणी 1: नाविक के लिए 16/03/2016 से 16.03.2016 तक, अंतिम पोत/जलयान से साइन ऑफ की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर, 200000 रुपये (केवल दो लाख रुपये) तक वित्तीय सहायता की राशि बढ़ा दी गई है, जहां नाविक को चोट लगी है।

टिप्पणी 2: नाविक के लिए 29/04/2024 से 31/05/2022 तक या उसके बाद, अंतिम पोत/जलयान से साइन ऑफ की तारीख से 24 महीने की अवधि के भीतर, नाविक को चोट लगने पर वित्तीय सहायता की राशि 6,00,000 रुपये (रु. छह लाख मात्र) तक बढ़ा दी गई है। (27/01/2026 से 36 महीनों तक संशोधित)

.....

नाविक कल्याण निधि सोसायटी।

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय)

नौ भवन, ग्राउंड फ्लोर, आर. कामनी मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट, मुंबई-400 001

मोबाइल नं. 8097552900/8097553700

ईमेल- swfs.dgs@govcontractor.nic.in/swfs.srassit-dgs@govcontractor.nic.in

अक्षमता लाभ योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र।

(कृपया इस आवेदन पत्र को जमा करने से पहले नीचे दिए गए नोट्स देखें)

नाविक का पूरा नाम (सीडीसी पुस्तक के अनुसार)	श्री/श्रीमती।
सीडीसीडीसी बुक नंबर	
भारतीय पोत मालिक कंपनी का नाम या भर्ती और नियुक्ति	
सेवा (आरपीएस) प्रदाता का नाम और पंजीकरण। नहीं	
अंतिम साइन ऑफ जलयान का नाम और तारीख	
पत्राचार का पता	
दूरभाष सं. (एसटीडी कोड सहित)	दूरभाष सं. _____.
मोबाइल नं।	मोबाइल सं. _____.

मैं, अधोहस्ताक्षरी, एक आकस्मिक चोट के कारण समुद्री यात्रा के पेशे के लिए स्थायी रूप से अक्षम हो गया हूं जो----- पर हुई थी।

अब आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे, 'अक्षमता लाभ योजना' के तहत, एसडब्ल्यूएफ सोसाइटी के नियमों के अनुसार, योजना के लिए लागू वित्तीय सहायता प्रदान करें। मैं योजना के तहत दावा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं नीचे अपना बैंक खाता विवरण देता हूं। (बैंक विवरण अनिवार्य हैं, जिसके बिना आवेदन संसाधित नहीं किया जाएगा.)

क्र.सं.	दस्तावेज
1	भारतीय नाविक की नवीनतम भारतीय सीडीसी पुस्तक की स्व-सत्यापित प्रति जिसमें अंतिम साइन-ऑफ जलयान का नाम दिखाया गया है और तारीख।
2	भारतीय नाविक को प्रमाणित करने वाले नौमनि द्वारा अनुमोदित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति अंगों के नुकसान के कारण समुद्री यात्रा के पेशे के लिए "स्थायी रूप से अक्षम"।
3	डिस्चार्ज कार्ड/अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र और चिकित्सा रिपोर्ट कार्ड की सत्यापित प्रति (जहां भारतीय नाविक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था)

बैंक का विवरण, जहां वित्तीय सहायता राशि जमा की जानी है (अनिवार्य)

बैंक का नाम	शाखा का नाम	शाखा का पता	एसबीए/सी नंबर।	शाखा आईएफएस सी कोड

(टिप्पणी: कृपया बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा विधिवत सत्यापित आवेदक का नाम दर्शाने वाली एसबी खाते की बैंक पास बुक के पहले पृष्ठ की एक सुपाठ्य प्रति संलग्न करें)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं उपरोक्त रूप से प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इस वित्तीय सहायता का दावा कर रहा हूँ, और बाद की तारीख में यदि यह साबित हो जाता है कि मैं स्थायी रूप से नौवहन व्यवसाय के लिए अक्षम हूँ या मेरा दावा धोखाधड़ी पाया गया था, तो मैं एसडब्ल्यूएफ सोसाइटी को पूरी वित्तीय सहायता वापस करने का वचन देता हूँ और एसडब्ल्यूएफ सोसाइटी को मेरे किसी भी आय के स्रोत से मेरे पास से इसे वसूल करने के लिए अधिकृत करता हूँ।

स्थान:_____

(आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान)

तारीख:_____

आवेदक का नाम:_____

टिप्पणी 1: यह योजना केवल भारतीय नाविकों के लिए लागू है, जिनके पास सीडीसीडीसी बुक है और 21.08.2014 से प्रभावी है और इसलिए चोट की तारीख 21.08.2014 को या उसके बाद होनी चाहिए।

टिप्पणी 2: नाविक की चोट की तारीख भारतीय सीडीसीडीसी बुक में दर्ज अंतिम पोत से साइन-ऑफ की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर होनी चाहिए। (27/01/2026 से 36 महीनों तक संशोधित)

टिप्पणी 3: वित्तीय सहायता के लिए आवेदन को नौमनि द्वारा अनुमोदित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर सोसायटी द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।

केवल एस.डब्ल्यू.एफ.एस. कार्यालय उपयोग के लिए

आवेदन संख्या।

संलग्न दस्तावेज सत्यापित किए गए और आवेदक को वित्तीय सहायता के लिए अक्षमता लाभ योजना के तहत पात्र/अपात्र पाया गया। (₹._____ only)

डीए द्वारा जाँच की गई

(एएओ) द्वारा सत्यापित

(सीएएओ) द्वारा अनुमोदित

एमटी/एमएस द्वारा अनुशंसित